

6.9.19

अपीलार तथा उसके वकील को आवाज लवाई गई। उपरोक्त नहीं। अपील SDO के माध्यम से RAS के आदेशों के विरुद्ध पेश हुई है। SDO के आदेश के विरुद्ध अपील RAS को डाली है। अतः अपील को प्राथमिकता से न लेने के कारण प्राथमिक स्टेज पर ही रथारिज की जाती है।


अति.संभागीय आहुत
बीकानेर